प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 15/142/26-2-2014

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
बलिया, श्रावस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ,
मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर, बाराबंकी, गोण्डा, मऊ।

2- मण्डलायुक्त
आजमगढ़, देवीपाटन, गोरखपुर, मेरठ,
सहारनपुर, कानपुर, फैजाबाद।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 17 जनवरी, 2014

विषय:- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत धनराशि पेंशनरों के खातों में भेजने के सम्बन्ध में प्रगति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में विदित होगा कि समस्त प्रकार की पेंशन योजना का कार्य शासन की शीर्ष प्राथकिताओं में शामिल है तथा विकास एजेण्डा में भी निर्धारित है। उक्त योजना के अनुश्रवण का कार्य नियमित रूप से उच्च स्तर पर सम्पादित किया जाता है।

2. वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्राप्त सूचना के आधार पर समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कतिपय जनपदों को उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। न्यूनतम प्रगति वाले 10 जनपदों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	जनपद	पेंशनरों के खातें में प्रेषित धनराशि की स्थिति (प्रतिशत में)
1.	बलिया	43.00 प्रतिशत
2.	श्रावस्ती	47.98 प्रतिशत
3.	गोरखपुर	48.27 प्रतिशत
4.	आजमगढ़	49.96 प्रतिशत
5.	मेरठ	49.96 प्रतिशत
6.	मुजफ्फर नगर	49.97 प्रतिशत
7.	कानपुर नगर	50.00 प्रतिशत
8.	बाराबंकी	50.00 प्रतिशत

http://shasanadesh.up.nic.in

9.	गोण्डा	50.00 प्रतिशत
10.	मऊ	50.00 प्रतिशत

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त स्थिति के दृष्टिगत अपने स्तर से उक्त पेंशन योजना की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे अपने जनपद में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि पेंशनरों के खातों में दिनांक 31.01.2014 तक स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

4. अत: अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से सतत् अनुश्रवण करते हुये वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनरों के खातों में शत-प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करे तथा कृत कार्यवाही/प्रगति से शासन को भी प्राथमिकता पर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-142(1)/26-2-2014

प्रतिलिपि निदेशक, समाज कल्याण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उपरोक्त जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे अपने जनपद में निर्धारित समयान्तर्गत पेंशन की धनराशि का शत-प्रतिशत भुगतान लाभार्थियों के खाते में किया जाना सुनिश्चित करे तथा इस कार्य का सतत् अनुश्रवण करते हुये प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में यदि किसी जनपद में उक्त निर्धारित तिथि तक पेंशन की धनराशि का लाभार्थियों को शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in